6

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक- 15.6.18

संख्या-18/लो०से०अ०-12-01/2016(खण्ड) 8031 /बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1423 दिनांक-11.05.2011 (समय-समय पर यथा संशोधित) एवं अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट-1 में कमांक-25 एवं 26 पर श्रम संसाधन विभाग की निम्नांकित दो सेवाएँ तुरत के प्रभाव से जोड़ी जाती है:-

"

क0	सेवा का नाम	नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय-सीमा
25	बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में अनुदान)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	14 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	श्रमायुक्त बिहार	15 कार्य दिवस
26	बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी अंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान प्राप्त करने हेतु)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	14 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस	श्रमायुक्त बिहार	15 कार्य दिवस

"

2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु विहित आवेदन पत्र (प्रपत्र-1) और इसके साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजातों का चेक-लिस्ट, प्रपत्र-II (क) एवं प्रपत्र-II (ख) होगा।

3. सेवा प्राप्त करने हेतु श्रम संसाधन विभाग आवश्यकतानुसार समय-समय पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।

4. प्रस्ताव, संलेख प्रारूप एवं अधिसूचना प्रारूप में मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उपर्युक्त प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-12.06.2018 में मद संख्या-18 के रूप में स्वीकृत।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव

desktop/hcl/imran/Adhisuchna

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0..8031... / पटना 15 दिनांक–..15.6.18.........

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

सरकार के अपर सचिव।

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0..8031... / पटना 15 दिनांक–..15.6.18.........

प्रतिलिपि–सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार / अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department
(Notification)

No-18/Lo.Se.A.-12 01/2016(Part)---8031---------/ In exercise of the power conferred by the Section-3 of Bihar Right to Public Services Act ,2011 (Bihar Act,4,2011) the following Services of Labour Resource Depatent shall be added by the State Government in Notification No-1243 dated 11.05.2011 and notification no-19431 dated 23.12.2013 on serial no. 25 and 26 with immediate effect :-

"

S. No.	Name of the Department/Service		Namely Specified Public Servant	Stipulated Time for Service	Appellate Authority	Stipulated Time for Disposal of First Appeal	Reviewing Authority	Stipulated Time for Disposal of Second Appeal
1	2		3	4	5	6	7	8
25	Labour Resource Department of Bihar	Bihar State non resident labour accident compensation scheme (compensation regarding accidental death)	Block development Officer	14 working days	District Magistrate	15 working days	Labour Commissioner of Bihar	15 working days
26	Labour Resource Department of Bihar	Bihar State non resident labour accident compensation scheme (for obtaining compensation in case of complete disability and permanent partial disability)	Block development Officer	14 working days	District Magistrate	15 working days	Labour Commissioner of Bihar	15 working days

"

2 To avail these services under Bihar Right to Public Service Act 2011, the application form shall be prescribed in performa-I and checklist of necessary documents to be attached with application form in performa-II (A) and performa-II (B).

3. Labour Resource Department may issue other performa after consulitation with law Department.

4. Acceptance of honourable Chief (General Administration Department) Minister has obtained on proposals, memorandum and notification format.

5. Above proposal has been sanctioned in cabinet's meeting dated 12.06.2018 as item no-18

By the order of Governor of Bihar,

(Dayanidhan Pandey)
Additional to Government.

desktop/hcl/imran/Adhisuchna

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0 8031 / पटना 15 दिनांक– 15.6.18

प्रतिलिपि–पभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0 8031 / पटना 15 दिनांक– 15.6.18

प्रतिलिपि–सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

desktop/hcl/imran/Adhisuchna

प्रपत्र –1
(तीन प्रतियों में)

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के लिए दावा–पत्र
(प्रखंड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी के तीन प्रतियों में दिया जायेगा)*

1. (क) मृत व्यक्ति / अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता से पीड़ित प्रवासी मजदूर का नाम (बड़े अक्षरों में) :–

(ख) पता–ग्राम................................पंचायत............................थाना..................................

अंचल .... जिला..

(ग) बैंक खाता संख्या** ....(घ) बैंक का नाम **.................................

(ड) IFSC कोड** ....

2. दुर्घटना का विवरण:–

(क) तिथि:–...

(ख) समय:–.. पूर्वाहन / अपराह्न

(ग) स्थान:–...

(घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी / श्रम अधीक्षक / जिला दंडाधिकारी / पंचायत / शहरी निकाय को कब संसूचित किया गया था:–

(ड) दुर्घटना का विस्तृत ब्यौरा:–

(च) तिथि एवं समय:–

(छ) प्राथमिकी / सनहा / पंचनामा दर्ज करने की तिथि:–
(प्राथमिकी / सनहा / पंचनामा की प्रति संलग्न की जाए):–

3. पूर्ण स्थायी एवं आंशिक स्थायी अपंगता से संबंधित प्रमाण पत्र:–

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ उपर दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि सूचना गलत होने की स्थिति में मेरा दावा अविधिमान्य हो जाएगा।

---

* दावा पत्र की प्राप्ति रसीद दी जायेगी और दावा पत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को आवेदन देने के समय दी जायेगी।

** एक से अधिक आश्रित की स्थिति में सभी आश्रितों का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम तथा आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड आवश्यक।

गवाह का नाम पता, एवं हस्ताक्षर

1. ....

2. ....

दावेदार का हस्ताक्षर

(जाँच पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

(क) आश्रित के संबंध में मंतव्यः–

(ख) पूर्व स्थायी अपंगता एवं आंशिक स्थायी अपंगता /मृत्यु के कारण के संबंध में मंतव्यः–

(ग)दावा की जांच की गयी। जांच प्रतिवेदन संलग्न है। मैं अनुशंसा करता हूँ कि दावा की स्वीकृति/
अस्वीकृति दी जा सकती है।

जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पदनाम

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(मुहर)

स्थानः–...

दिनांकः–...

जिला दंडाधिकारी का कार्यालय

इस दावे की जाँच पड़ताल .... (पदाधिकारी का नाम) द्वारा किया गया और उनका निष्कर्ष स्वीकार्य है। दावा स्वीकृत किया जाता है।

श्रम अधीक्षक
अथवा जिलादंडाधिकारी द्वारा
प्राधिकृत पदाधिकारी

जिलाधिकारी का हस्ताक्षर

(मुहर)

स्थानः–...

संख्या–1/आई0एम0एल0–06/2016श्र0सं0 –3023 पटना, दिनांक 14.07.2016

प्रपत्र–II (क)

सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात

(चेक लिस्ट)

सेवा का नाम		चेक लिस्ट
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना **(दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में अनुदान)**	1	आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र–2 क (तीन प्रतियों में)
	2	मृतक के पहचान हेतु प्रमाण (इनमें से कोई एक) (i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) आवासीय प्रमाण पत्र (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
	3	उम्र का सबूतः (इनमें से कोई एक) (i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) मनरेगा जॉब कार्ड (iv) वाहन चालन अनुज्ञप्ति (v) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
	4	बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण (इनमें से कोई एक)। (i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) आवासीय प्रमाण पत्र (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
	5	पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में दी गई सूचना/प्राथमिकी या यदि पुलिस स्टेशन को सूचना देना विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित नहीं हो तो दुर्घटना के संबंध में मुखिया /वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
	6	मृत्यु प्रमाण पत्र
	7	पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट
	8	आश्रित प्रमाण पत्र

प्रपत्र–II (ख)

सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात

(चेक लिस्ट)

सेवा का नाम		चेक लिस्ट
बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना **(पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान प्राप्त करने हेतु)**	1.	आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र–2 क (तीन प्रतियों में)
	2	प्रवासी मजदूर के पहचान हेतु प्रमाण (इनमें से कोई एक) (i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) वाहन चालन अनुज्ञप्ति (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
	3	उम्र का सबूतः (इनमें से कोई एक) (i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) वाहन चालन अनुज्ञप्ति (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
	4	बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण (इनमें से कोई एक) (i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) आवासीय प्रमाण पत्र (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।
	5	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्तता से संबंधित प्रमाण पत्र (सरकारी शल्य चिकित्सक)